Ganguli Construction K.No. 82/32 Mauza Jagan Pur Already 16/3/12
M.N.-(9) Active in 2011

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL
भारत
रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये
Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES
सत्यमेव जयते
INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 281830

// लेखपत्र का संक्षिप्त

1- भूमि का प्रकार :- आवासीय
2- वार्ड / परगना :- हरीपर्वत वार्ड, आगरा
3- ग्राम / मोहल्ला :- ग्राम जगनपुर मुस्तकिल, आगरा

गंगा देवी — Anand Kumar — [illegible] कुमार — [illegible]

सन्तोष देवी — [illegible] — नि.अ. फूलवती — रणवीरसिंह

[illegible] — [illegible] — जितेन्द्र सिंह — [illegible] कुमार

नि.अ. सरस्वती देवी — प्रेमकुमार — वीरेन्द्र कुमार — प्रमोद कुमार

(13)
16,59,68,020
1,16,17,200
6,25,000
1,09,92,200
3365
N.T. (29)

19 MAR 2012

Ganga Devi & Etc.
15,30,00,000 DD + PDC P.No. 13
Stamp 1,16,17,200 (6.25 Paid, 109.922 Due)
Registry Fee 12800
16,46,30,000
26,400
16,72,70,000

Area = 4.1490 × 10000 = 41490 Mtr.

Stamp - 11,61,720
Int. 14,58,470
Penalty 10,000
Fee 26,400

[illegible]

(S. D. ...)
Cashier
... Treasurer

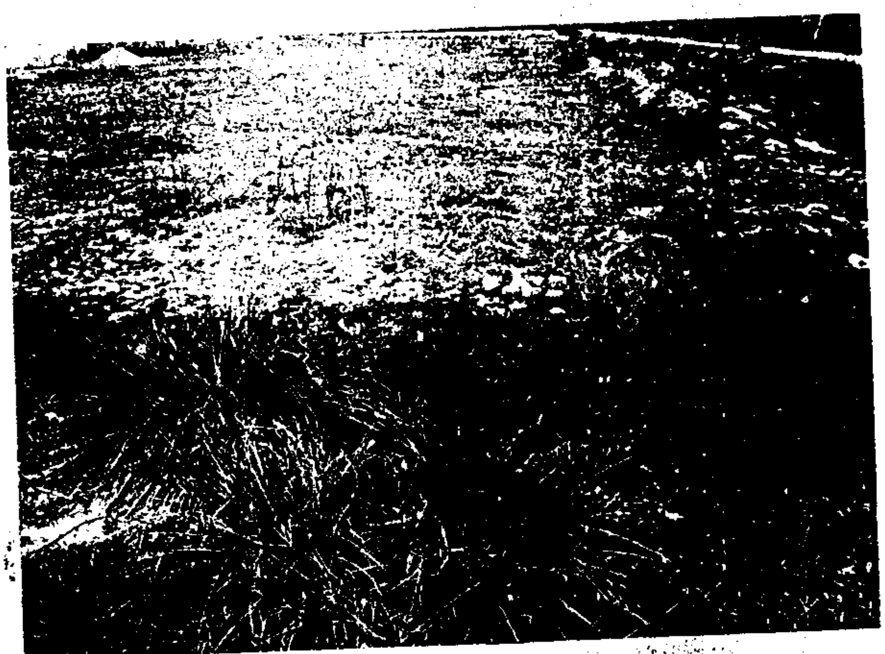

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000

पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000

TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B

सुशीला देवी

4- सम्पत्ति का विवरण :- जमीन मिन0 खसरा नंबर 823अ० - 82मि०

5- सम्पत्ति का क्षेत्रफल :- 4·1490 हेक्टेअर यानी 18 बीघा

6- सड़क की स्थिति :- रास्ता 1 मीटर से कम चौड़ा

गंगा देवी | Kumar Kaul | निर्वेन्द्र कुमार | V.L.Verma

सुशीला देवी | नीरज | नि.अ. फूलवती | राजवीर सिंह

राधाचरण | अर्जुन सिंह | जितेन्द्र सिंह | योगेन्द्र कुमार

नि.अ. सरस्वती देवी | प्रेमकुमार | वीरेन्द्र कुमार | प्रमोद कुमार

वादी

के० - 15,30,0000 ... स्टाम्प
मा० - 1659 60,000

किस्म दस्तावेज ...

फी०यु०	उजरत	योग	...
10000	20	10020	1000

आलोकचन्द अग्रवाल पुत्र स्व० भजन लाल
निवासी 35/60 नौबस्ता लोहामण्डी आगरा
ने यह लेख पत्र आगरा में ... दि० 14-6-2011 ... के प्रस्तुत किया।

उप निबन्धक, प्रथम
आगरा
14-6-2011

इस लेखपत्र के निष्पादन के समयफल
कुल ... प्रतिफल 15,30,0000 प्राप्त ...
मेरे समक्ष ... श्री ... स्व० रामलाल व अवनीन्द्र कुमार व निवेन्द्र कुमार व मनपाल पुत्रगण स्व० रामलाल ... व श्रीमती ... देवी पत्नी ... व नीरज कुमार ... व श्रीमती फूलवती देवी पत्नी स्व० बाबूलाल ... व राजवीर व राधा किशन व भैरो सिंह व जितेन्द्र सिंह व योगेन्द्र कुमार पुत्रगण स्व० बाबूलाल ... व श्रीमती ... देवी पत्नी ... अग्रवाल व ... कुमार व वीरेन्द्र कुमार व प्रमोद कुमार पुत्रगण ... अग्रवाल ... निवासीगण ... आगरा ... प्रतिफल ... स्वीकार किया।

पहचान श्री ...
पुत्र श्री ... लाल
निवासी ... आगरा
व श्री ...
पुत्र श्री ...
निवासी ... आगरा
ने की।

उप निबन्धक, प्रथम
आगरा
14-6-2011

हस्ताक्षर ... प्रतीत होते हैं।
जिनके चिन्ह ... लिये गये हैं।
उप निबन्धक, प्रथम
आगरा
14/6/11

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 281832

// 3 //

7- अन्य विवरण :- जमीन दोरा [illegible] पेंसिंग [illegible] है और जिसपर कोई निर्माण नहीं हो रहा है

8- सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित है :- नहीं

9- प्रतिफल की धनराशि :- 15,30,00,000/= रूपया

अधिकृत प्रतिनिधि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 281833

विष्णुकान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
JUN 2011
कोषागार, बागरा

10- नियमानुसार कीमत :- 16,59,60,000/= रुपया

11- सर्किल रेट :- 4,000/= रुपया प्रति व0मी0

12- स्टाम्प तादादी :- 1,16,17,200/= रुपया

वास्ते मैं ...

अधिकृत प्रतिनिधि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH // 5 // B 281834

विष्णुकान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
16 2011

चौहद्दी :-

पूरब - दगड़ा रास्ता 9 मीटर से कम चौड़ा व निकास।

पश्चिम - जमीन खसरा नंबर 81 तथा 81/495 ।

उत्तर - जमीन श्री0 पातीराम।

दक्खिन - कुछ भाग में जमीन श्री पातीराम व कुछ भाग में जमीन "लोड्स्टार इन्फ्राटेक प्रा0 लि0"

विक्रेता :- 1- श्रीमती गंगादेवी पत्नी स्व0 श्री रामलखन व (2) अवेन्द्रकुमार व (3) निवेन्द्र कुमार व (4) यशपाल पुत्रगण स्व0 श्री रामलखन उक्त व (5) श्रीमती सुशीलादेवी पत्नी स्व0 श्री कुंवरसैन वजात खुद व बहैसियत मुख्तारआम

गंगादेवी | Avendra Kumar | निवेन्द्र कुमार | Y.L. Verma

सुशीलादेवी | | श्रीमती फूलवती | राजवीरसिंह

| अमरसिंह | जितेन्द्रसिंह | योगेन्द्र कुमार

श्रीमती सरस्वती देवी | प्रेमकुमार | वीरेन्द्र कुमार | प्रमोद कुमार

प्राधिकृत प्रतिनिधि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH // 6 // B 281835

विष्णुकान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
2011
आगरा

मिनजानिब श्री0अनिलकुमार पुत्र स्व0 श्री कुंवरसैन निवासी ग्राम जगनपुर तहसील व जिला आगरा द्वारा मुख्तारनामा आम दिनांक 03/06/2011 ई० तस्दीकशुदा जिला पब्लिक नौटरी आगरा जो आजतक कायम तथा बरकरार हैं और जिसके द्वारा मुझको अन्तरण आदि करने के समस्त अधिकार प्राप्त हैं - व (6) नीरज कुमार पुत्र स्व0 श्री कुंवरसैन उक्त व (7) श्रीमती फूलवती देवी पत्नी स्व0 श्री बाबूलाल व (8) राजवीर व (9) राधाकिशन व (10) भंवरसिहं व (11) जितेन्द्र सिहं व (12) योगेन्द्रकुमार पुत्रगण स्व0 श्री बाबूलाल उक्त व (13) श्रीमती शरबती देवी पत्नी स्व0 श्री रामसिहं उर्फ जयपाल व (14) प्रेमकुमार व (15) वीरेन्द्र कुमार व (16) प्रमोदकुमार पुत्रगण स्व0 श्री रामसिहं उर्फ जयपाल उक्त निवासीगण ग्राम जगनपुर तहसील व जिला आगरा ।

अधिकृत प्रतिनिधि

विक्रेता

Minute Book No.: 4 Year : 2,011 Book No. : 1

0101 गंगा देवी

स्व रामलखन
जगनपुर आगरा
गृहिणी

0102 अवेन्द्र कुमार

स्व रामलखन
जगनपुर आगरा
कृषि

0103 निवेन्द्र कुमार

स्व रामलखन
जगनपुर आगरा
कृषि

0104 यशपाल

स्व रामलखन
जगनपुर आगरा
कृषि

गंगा देवी Avendra Kumar निवेन्द्र कुमार Yashpal

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH // 7 // B 281836

विष्णुकान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
...2011
कोषागार, आगरा

क्रेता :- मैसर्स पुष्पांजली कन्स्ट्रक्शन प्रा0 लि0 पुष्पांजली पैलेस देहलीगेट, आगरा [कम्पनी अधि0 1956 के अन्तर्गत गठित] पैन नंबर ए ए ए सी पी 9604 जे द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि गनेशचन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री मक्खनलाल अग्रवाल निवासी 35/60 नौबस्ता, लोहामन्डी शहर आगरा ।

जो कि आराजी खाता नंबर 00329 खसरा नंबर 82अ· रकबा 2·4200 हेक्टेअर तथा 82मि· रकबा 5·1080 हेक्टेअर किता दो कुल रकबा 7·5280 हेक्टेअर लगान 120·05 पैसे साल वाकेग्राम जगनपुर मुस्तकिल तहसील व जिला आगरा । में से विक्रेतागण 3/4 भाग आराजी वइंद्राज कागजात अदालत माल मुताबिक खतौनी [सन् 1415 लगा0 1420 फसली] संक्रमणीय भूमिधर मालिक है,

गंगा देवी — Anudha Kumar — निरेन्द्र कुमार — Y. Vora

... — ... — नि0 अ0 फूलवती — राजवीर सिंह

... — अमरसिंह — जितेन्द्र सिंह — योगेन्द्र कुमार

... — प्रेम कुमार — ... कुमार — प्रभात कुमार

मै० पुष्पां... लि०
... अधिकृत प्रतिनिधि

विक्रेता

Minute Book No.: 4 Year : 2,011 Book No. : 1

0105 सुशीला देवी स्वंय वहै0मु0आम

कुंवर सैन

जगनपुर आगरा

गृहिणी

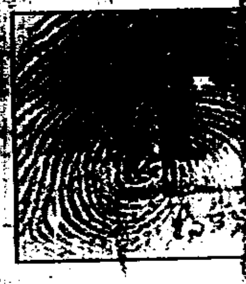

0106 नीरज कुमार

स्व कुंवरसैन

जगनपुर आगरा

कृषि

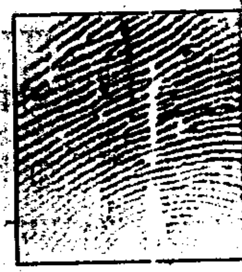

0107 फूलवती देवी

स्व बाबूलाल

जगनपुर आगरा

गृहिणी

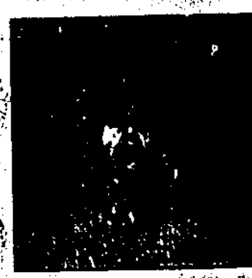

0108 राजवीर सिंह

बाबूलाल

जगनपुर आगरा

कृषि

नीरज फूलवती राजवीर सिंह राधाकिशन

जितेन्द्र सिंह योगेन्द्र कुमार प्रेमकुमार

उमेश कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   // 8 //   B 281837

जिसमे से विक्रेतागण 1.4970 हेक्टेअर आराजी को जरिये बैनामेजात रजिस्ट्रीशुदा पेशतर विक्रय कर चुके है, अब विक्रेतागण की उक्त कुल आराजी में से सिर्फ आराजी रकबा 4.1490 हेक्टेअर शेष है, जो विक्रेतागण को द्वारा पारिवारिक विभाजन के प्राप्त हुई है, जो विक्रेतागण के कब्जे व दखल में है, और विक्रेतागण जिसके एकमात्र स्वामी है, जिसको बावत विक्रेतागण को समस्त अधिकार मालिकाना हरकिस्म के हासिल हैं, सिवाये उनके उक्त जमीन का अन्य कोई हकदार व हिस्सेदार आदि किसी किस्म का नही है कि जो विक्रेतागण के किसी भी अन्तरण आदि मे कोई बाधा या रुकावट उत्पन्न कर सके, इसके

गंगा देवी   Anil Kumar   निवेन्द्र कुमार

सुशीला देवी   नीरज   नि॰ अ॰ फूलवती   राजवीर सिंह

अमर सिंह   जितेन्द्र सिंह   योगेन्द्र कुमार

प्रेम कुमार   वीरेन्द्र कुमार   प्रमोद कुमार

वास्ते मै॰ पुष्पांजलि ... प्रा॰ लि॰

अधिकृत प्रतिनिधि

विक्रेता

Minute Book No.: 4 Year: 2,011 Book No.: 1

0109 राधाकिशन

स्व बाबूलाल

जगनपुर आगरा

कृषि

0110 भंवर सिंह

स्व बाबूलाल

जगनपुर आगरा

कृषि

0111 जितेन्द्र सिंह

स्व बाबूलाल

जगनपुर आगरा

कृषि

0112 योगेन्द्र कुमार

स्व बाबूलाल

जगनपुर आगरा

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 25000 पच्चीस हजार रूपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

// 9 //

B 281838

अतिरिक्त उक्त जमीन आजतक हरप्रकार के करजे व बार व इंतकाल व मुआहिदाये एवं जमानत व लोन आदि से सर्वथा स्वच्छ एवं मुक्त है, और जो नजूल या राजकीय आस्थान की नहीं है, और उक्त भूमि किसी भी सीलिंग वाद में अतिरिक्त रिक्त भूमि घोषित नहीं हुई है, और ना ही अभ्यर्पित हुई है, और ना ही विक्रेता ने कोई मुआवजा आदि प्राप्त किया है, अगर उक्त वचनो के विपरीत कोई बात असत्य साबित हो विक्रेतागण समस्त नतायज कानूनी के पाबंद व जिम्मेदार होंगे, अब विक्रेतागण को उक्त हिस्सा आराजी में से अपनी शेष कुल आराजी रकबा 4.1490 हेक्टेअर यानी 18 बीघा अपना सम्पूर्ण अंश का विक्रय करना अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बाजार में अधिक से अधिक

गंगा देवी   Anirudha Kum   निवेन्द्र कुमार   K.L. Verma

सत्यभामा देवी   ...   निरुपमा फूलवती   राजवीर सिंह

राधा...   अमरसिंह   जितेन्द्र सिंह   योगेन्द्र कुमार

निरुपमा सरवती देवी   प्रेमकुमार   ...कुमार   प्रमोद कुमार

अधिकृत प्रतिनिधि

विक्रेता

Minute Book No.: 4 Year : 2,011 Book No. : 1

0113 **शरबती देवी**

जयपाल ऊर्फ राम सिंह

जगनपुर आगरा

गृहिणी

0114 **प्रेम कुमार**

स्व राम सिंह ऊर्फ जयपाल

जगनपुर आगरा

कृषि

0115 **बीरेन्द्र कुमार**

स्व राम सिंह ऊर्फ जयपाल

जगनपुर आगरा

कृषि

0116 **प्रमोद कुमार**

स्व राम सिंह ऊर्फ जयपाल

जगनपुर आगरा

कृषि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 25000 पच्चीस हजार रूपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 281839

// 10 //

कीमत पर विक्रय करना चाहते है, और इसके सम्बन्ध मे काफी प्रयास करने पर वर्तमान में केवल क्रेता कम्पनी ही कीमत अदा कर रही है, इसलिये हम विक्रेतागणं उक्त आराजी 4.1490 हेक्टेअर अपना सम्पूर्ण अंश को विक्रय करने के लिये तैयार हैं।

लिहाजा विक्रेतागण ने अपनी हिस्सा आराजी में से शेष कुल आराजी रकबा 4.1490 हेक्टेअर यानी 18 बीघा अपना सम्पूर्ण अंश कोअपनी राजी व खुशी से बिना बहकाये, सिखाये व दबाव नाजायज के खूब सोच समझकर साथ तमाम हद्दूद हकूक कुल जिम्मेदारी तथा गुडटायटिल की गारंटी के साथ स्वेच्छा तथा प्रसन्नता पूर्वक स्वस्थ चित्त, मन, बुद्धि, इंद्रियों की स्वस्थावस्था में बऐवज मुबलिग 15,30,00,000/= पंद्रह करोड़ तीस लाख रूपया कि आधे जिसके मुब0 7,65,00,000/= सात करोड़ पैंसठ लाख रूपया होते है, बदस्त " मैसर्स पुष्पांजली कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 आगरा" उक्त क्रेता फर्म के बै कराईकिया, और बेच दिया।

वास्ते मै० पु... प्रा० लि०

अधिकृत प्रतिनिधि

क्रेता

Minute Book No. : 4 Year : 2,011 Book No. : 1

0201 गनेशचन्द्र अग्रवाल अधिकृत प्रतिनिधि

स्व मक्खनलाल अग्रवाल

35/60 नौबस्ता लोहामण्डी आगरा

व्यापार

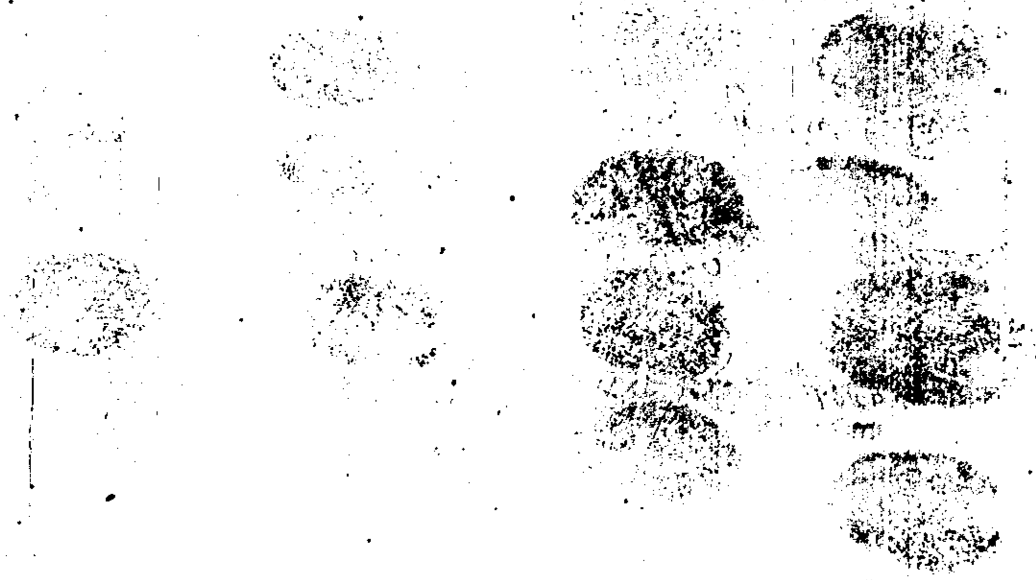

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 281840

विष्णुकान्त द्विवेदी

// 11 //

उक्त कीमत का कुल रुपया विक्रेतागण ने क्रेता से हस्व तफसील जैल वसूल पाकर कब्जा व दखल जमीन मुबैया पर वाकई मालिकाना विक्रेता ने उक्त क्रेता कम्पनी का द्वारा प्रतिनिधि करा दिया, और मालिक मुस्तकिल बना दिया, अब क्रेता कम्पनी को मजाज है कि उसमें चाहे जैसा निर्माण करावे, या जिसप्रकार चाहें लाभान्वितहोवे, या रहन, बै आदि जो चाहे सो करें, कुल अख्तयारात बावत जमीन मुबैया तनहा क्रेता को हक मालिकाना हरकिस्म हासिल हैं, और आइंदा रहेंगे, क्रेता जरिये दस्तावेज हाजा उक्त जमीन पर अपने नाम का नामांकन महकमा मजाज में करालें, विक्रेतागण अपनी सहमति व हस्ताक्षर व ब्यानात आदि सहर्ष प्रदान करेंगे ।

अधिकृत प्रतिनिधि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 281841

विष्णुकान्त द्विवेदी

अगर आयंदा कभी कोई वारिस या दावेदार कानूनी या खानदानी या अन्य कोई किफालतदार आदि बाबत जमीन मुबैया पैदा होकर किसीप्रकार का दावा व झगड़ा क्रेता से करे, और उसकी वजह से जुज या कुल जमीन मुबैया कब्जा व दखल क्रेता से निकल जावे या किसी को कुछ रुपया अदा करना या देना पड़े या विक्रेता की कोई गलत ब्यानी जाहिर या साबित हो अथवा टायटिल में नुक्स पाया जावे तो ऐसी तमाम सूरतों में उसकी कुल जवाबदेही व जिम्मेदारी व अदायगी जरेसमन मजकूर मयसूद व हर्जे खर्चे के बजिम्मे जातखास व जायदाद चल व अचल हरकिस्म विक्रेतागण व वारिसान विक्रेतागण के है, और होगी, क्रेता व कायम मुकामान उनके को मजाज होगा कि बाजाब्ता मशमूलन ख्वाह मुनफर्द न वसूल करलें, जिसमें विक्रेतागण व वारिसान उनके को कुछ उज्र किसी किस्म का नही होगा।

गंगादेवी

सुशीला देवी   नि. अ. फूलवती   राजवीरसिंह

अमरसिंह

प्रमोदकुमार

अधिकृत प्रतिनिधि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रूपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 281842

// 13 //

तफसील वसूलयाबी जरेसमन बैनामा हाजा की इसप्रकार है :-

1- ड्राफ्ट नंबरी 040896 दि0 3/6/2011 तादादी 8,50,000/= रूपया
2- ड्राफ्ट नंबरी 040897 दि0 3/6/2011 तादादी 8,50,000/= रूपया
3- ड्राफ्ट नंबरी 040898 दि0 3/6/2011 तादादी 8,50,000/= रूपया
4- ड्राफ्ट नंबरी 040909 दि0 4/6/2011 तादादी 50,000/= रूपया
5- ड्राफ्ट नंबरी 040910 दि0 4/6/2011 तादादी 50,000/= रूपया
6- ड्राफ्टनंबरी 040911 दि0 4/6/2011 तादादी 50,000/= रूपया
7- ड्राफ्ट नंबरी 040912 दि0 4/6/2011 तादादी 8,50,000/= रूपया
8- ड्राफ्ट नंबरी 040913 दि0 4/6/2011 तादादी 8,50,000/= रूपया
9- ड्राफ्ट नंबरी 040914 दि0 4/6/2011 तादादी 8,50,000/= रूपया

गंगादेवी Arvind Kumar निरेन्द्रकुमार

राजवीर सिंह

अमरसिंह

प्रमोद कुमार

सत्यापित प्रतिलिपि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 281843

// 14 //

10- ड्राफ्ट नंबरी 040915 दि0 4/6/2011 तादादी 13,12,500/= रूपया
11- ड्राफ्ट नंबरी 040916 दि0 4/6/2011 तादादी 13,12,500/= रूपया
12- ड्राफ्ट नंबरी 040920 दि0 6/6/2011 ई॰तादादी 13,12,500/= रूपया
13- ड्राफ्ट नंबरी 040921 दि0 6/6/2011 तादादी 13,12,500/= रूपया
14- ड्राफ्ट नंबरी 040922 दि0 6/6/2011 तादादी 13,12,500/= रूपया
15- ड्राफ्ट नंबरी 040923 दि0 6/6/2011 ई॰तादादी 13,12,500/= रूपया
16- ड्राफ्ट नबरी 040924 दि0 6/6/2011 तादादी 13,12,500/= रूपया
17- ड्राफ्ट नंबरी 040925 दि0 6/6/2011 तादादी 13,12,500/= रूपया

समस्त ड्राफ्ट एच॰डी॰एफ॰सी॰ बैंक लि0 ब्रांच संजयप्लेस, आगरा । तथा ==

अधिकृत प्रतिनिधि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 281844

// 15 //

मुबलिग 30,00,000/= तीस लाख रुपया नकद तथा बाकी रुपया के चैक्स क्रमशः

18- चैक नंबरी 851979 दि0 6/11/2011 तादादी 20,00,000/= रुपया

19- चैक नंबरी 851080 दि0 31/3/2012 तादादी 23,75,000/= रुपया

20- चैक नंबरी 851981 दि0 10/11/2011 तादादी 20,00,000/= रुपया

21- चैक नंबरी 851982 दि0 29/3/2012 तादादी 23,75,000/= रुपया

22- चैक नंबरी 851983 दि0 14/11/2011 तादादी 20,00,000/= रुपया

23- चैक नंबरी 851984 दि0 27/3/2012 तादादी 23,75,000/= रुपया

24- चैक नंबरी 851985 दि0 19/11/2011 तादादी 20,00,000/= रुपया

25 - चैक नंबरी 851986 दि0 24/3/2012 तादादी 23,75,000/= रुपया

गंगा देवी — Avendra Kumar — निरेन्द्र कुमार — V.L. Verma

सरोज/सुशीला देवी — नीरज — नि. अ. फूलवती — राजवीर सिंह

अमरसिंह — जितेन्द्र सिंह

नि. अ. सरस्वती देवी — प्रेम कुमार — प्रमोद कुमार

अधिकृत प्रतिनिधि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 281845

26- चैक नंबर 851987 दि0 25/11/2011 तादादी 20,00,000/= रूपया
27- चैक नंबरी 851988 दि0 20/3/2012 तादादी 23,75,000/= रूपया
28- चैक नंबरी 851989 दि0 30/11/2011 तादादी 20,00,000/= रूपया
29- चैक नंबरी 851990 दि0 15/3/2012 तादादी 23,75,000/= रूपया
30- चैक नंबरी 851991 दि0 5/12/2011 तादादी 20,00,000/= रूपया
31- चैक नंबर 851992 दि0 10/3/2012 ई. तादादी 23,75,000/= रूपया
32- चैक नंबर 851993 दि0 10/12/2011 तादादी 20,00,000/= रूपया
33- चैक नंबरी 851994 दि0 5/3/2012 तादादी 23,75,000/= रूपया

गंगा देवी | Aneesh Kumar | निवेश कुमार

सुशीला देवी | नीरज | नि.अ. फूलवती | राजवीर सिंह

राधाकिशन | कंवर सिंह | जितेन्द्र सिंह | योगेन्द्र कुमार

नि.अ. सरस्वती देवी | प्रेम कुमार | ... कुमार | प्रमोद कुमार

पुष्पांजली

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 25000 पच्चीस हजार रूपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

// 17 //

B 281846

34- चैक नंबरी 851995 दि0 15/12/2011 तादादी 15,00,000/= रूपया
35- चैक नंबरी 851996 दि0 28/2/2012 तादादी 14,16,666/= रूपया
36- चैक नंबरी 851997 दि0 17/12/2011 तादादी 15,00,000/= रूपया
37- चैक नंबरी 851998 दि0 28/2/2012 तादादी 14,16,666/= रूपया
38- चैक नंबरी 851999 दि0 19/12/2011 तादादी 15,00,000/=रूपया
39- चैक नंबरी 852000 दि0 26/2/2012 तादादी 14,16,666/= रूपया
40- चैक नंबरी 852001 दि0 22/12/2011 तादादी 15,00,000/= रूपया
41- चैक नंबरी 852002 दि0 23/2/2012 तादादी 14,16,666/= रूपया
42- चैक नंबरी 852003 दि0 25/12/2011 तादादी 15,00,000/= रूपया
43- चैक नंबरी 852004 दि0 15/2/2012 तादादी 14,16,666/= रूपया
44- चैक नंबरी 852005 दि0 30/12/2011 तादादी 15,00,000/= रूपया

को. गा. देवी   Anil Kumar   शिव कुमार

सु. शीला देवी   वीरेन्द्र   नि. अ. फूलवती   राजवीर सिंह

अवधेश सिंह   जितेन्द्र सिंह   कुमार

नि. अ. सरस्वती देवी   प्रेम कुमार   वीरेन्द्र कुमार   प्रमोद कुमार

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 281847

// 18 //

45- चैक नंबर 852019 दि0 15/2/2012 तादादी 14,15,670/= रूपया

46- चैक नंबरी 852030 दि0 5/1/2012 तादादी 35,31,250/= रूपया

47- चैक नंबरी 852031 दि0 5/2/2012 ई॰तादादी 3531,250/= रूपया

48- चैक नंबरी 852058 दि0 7/1/2012 तादादी 35,31,250/= रूपया

49- चैक नंबरी 852059 दि0 10/2/2012 तादादी 35,31,250/= रूपया

50- चैक नंबरी 852034 दि0 10/1/2012 तादादी 35,31,250/= रूपया

51- चैक नंबरी 852035 दि0 12/2/2012 तादादी 35,31,250/= रूपया

52- चैक नंबरी 852036 दि0 18/1/2012 तादादी 3531250/= रूपया

53- चैक नंबरी 852037 दि0 18/2/2012 तादादी 35,31,250/= रूपया

Amit Kumar

सुशीला देवी

मि॰अ॰ फूलवती

राजवीर सिंह

अमर सिंह

प्रमोद कुमार

वास्ते मं॰

अधिकृत प्रतिनिधि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

// 19 //

B 281848

54- चैक नंबरी 852038 दि0 15/1/2012 तादादी 35,31,250/= रूपया

55- चैक नंबरी 852039 दि0 22/2/2012 तादादी 35,31,250/= रूपया

56- चैक नंबरी 852040 दि0 20/1/2012 तादादी 35,31,250/= रूपया

57- चैक नंबरी 852041 दि0 25/2/2012 तादादी 35,31,250/= रूपया

58- चैक नंबरी 852042 दि0 23/1/2012 तादादी 35,31,250/= रूपया

59- चैक नंबरी 852043 दि0 24/2/2012 तादादी 35,31,250/= रूपया

60- चैक नंबरी 852044 दि0 27/1/2012 तादादी 35,31,250/= रूपया

61- चैक नंबरी 852045 दि0 27/2/2012 तादादी 35,31,250/= रूपया

गंगा देवी   Anand Kumar   निर्वेन्द्र कुमार

सुशीला देवी   नीरज   श्रीमती फूलवती   राजवीर सिंह

अमरसिंह   जितेन्द्र सिंह

सरस्वती देवी   प्रेम कुमार   वीरेन्द्र कुमार   प्रमोद कुमार

वास्ते मे... लि०

अधिकृत प्रतिनिधि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

// 20 //

B 281849

विष्णुकान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
JUN 2011
कोषागार, आगरा

62- चैक नंबरी 852060 दि0 25/1/2012 तादादी 1658334/= रूपया

63- चैक नंबरी 852047 दि0 27/1/2012 तादादी 46,58,334/= रूपया

64- चैक नंबरी 852048 दि0 29/1/2012 तादादी 46,58,334/= रूपया

65- चैक नंबरी 852049 दि0 28/1/2012 तादादी 46,58,334/= रूपया

66- चैक नंबरी 852051 दि0 30/1/2012 तादादी 46,58,334/= रूपया

67- चैक नंबरी 852057 दि031/1/2012 तादादी 46,58,330/= रूपया

68- 852053 दि0 18/6/2011 तादादी 1,00,000/= रूपया

69- चैक नंबरी 852054 दि0 19/6/2011 तादादी 1,00,000/= रूपया

70- चैक नंबरी 852055 दि0 20/6/2011 तादादी 1,00,000/= रूपया

समस्त चैक इलाहाबाद बैंक ब्रांच न्यू आगरा, कमलानगर, आगरा ।

वक्त रजिस्ट्री दस्तावेज हाजा समक्ष श्रीमान् सब रजिस्ट्रार साहब आगरा प्राप्त कर लिये ।

प्रमाणित प्रतिलिपि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 281850

विष्णुकान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
6 JUN 2011
कोषागार, आगरा

// 21 //

लिहाजा यह बैनामा { विक्रय विलेख } बाद सुनने, समझने व पढने जुमला

गंगादेवी

सुशीला देवी

राजवीर सिंह

राधाकिशन

अमर सिंह

जितेन्द्र सिंह

प्रेम कुमार

प्रमोद कुमार

वास्ते मे० पु... जि०

अधिकृत प्रतिनिधि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 281851

गुकान्त द्विवेदी
कोषाधिकारी
6 JUN 2011
कोषागार, कासगंज

मजमून लिख दिया कि सनद रहे, और वक्त जरूरत पर काम आवे । लेख दिनांक

गंगादेवी — Arvind Kumar — निवेन्द्र कुमार — V.L Verma

सुशीलादेवी — नीरज — नि० आफूलवती — राजवीर सिंह

राधाकिशन — अवनीसिंह — जितेन्द्र सिंह — योगेन्द्र कुमार

नि० अक्सरवती देवी — प्रेमकुमार — वीरेन्द्र कुमार — प्रमोद कुमार

वास्ते मै० पुष्पांजलि ... लि०

अधिकृत प्रतिनिधि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रूपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 281852

// 23 //

शुकान्त द्विवेदी
स्टाम्प विक्रेता
06 JUN 2011

13 माह जून सन् 2011 ई० कातीदा राजेश कुमार गर्ग दस्तावेज लेखक निवासी

गंगादेवी Anuda Kumar निर्मल कुमार Verma

सुशीला देवी नि०अ० फूलवती राजवीर सिंह

राधाकिशन अमरसिंह जितेन्द्र सिंह योगेन्द्र कुमार

नि०अ० रामवती देवी प्रेमकुमार वीरेन्द्र कुमार प्रमोद कुमार

वास्ते मै० ... प्रा० लि०

अधिकृत प्रतिनिधि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH B 281853

// 24//

बेलनगंज, आगरा । टाइपबाई-प्रकाश चन्द्र शर्मा सदर तहसील आगरा ।

[illegible] Amendra Kumar [illegible] Verma

सुशीला देवी [illegible] श्रीमती फूलवती राजवीर सिंह

राधाकिशन [illegible] जितेन्द्र सिंह योगेन्द्र कुमार

श्रीमती सरवती देवी प्रेम कुमार वीरेन्द्र कुमार प्रमोद कुमार

वास्ते मैं[illegible] लि०

अधिकृत प्रतिनिधि

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रू. 25000 पच्चीस हजार रुपये

Rs. 25000 TWENTY FIVE THOUSAND RUPEES

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 281854

// 25 //

दस्तावेज हाजा विक्रेता एवं क्रेता के निर्देशानुसार तैयार किया गया ।

गंगा देवी Arun Kumar ... V.L. Verma

सुशीला देवी ... नि.अ. फूलवती रनवीर सिंह

राधा देवी अमरसिंह जितेन्द्र सिंह ... कुमार

नि.अ. सरवती देवी प्रेमकुमार नरेन्द्र कुमार प्रमोद कुमार

वास्ते मै० ... लि०

अधिकृत प्रतिनिधि

गवाह— फतीराम पुत्र श्री श्यामलाल
नि. जगनपुर-आगरा

गवाह— राजीवकुमार सिंह पुत्र श्री रघुवीर सिंह
नि. दयालबाग, आगरा

लेखक का नाम राजीव कुमार ... ला. नं. 21 आगरा मान्य तिथि 31-3-2012 स्थान ... कार्यालय, आगरा
लेखक के हस्ताक्षर राजीव कुमार

आज दिनांक **16/03/2012** को

वही सं. **1** जिल्द सं. **7727**

पृष्ठ सं. **333** से **384** पर क्रमांक **1043**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मेवालाल पटेल

उपनिबन्धक (प्रथम)

आगरा सदर

16/3/2012

हो गया है ।

अपर जिला ... आगरा

नक्शा नजरी भूमि खसरा संख्या 82अ व 82 म० वाके मौजा अजनपुर (मुस्तकिल) तहसील व जिला आगरा
विक्रेता :- श्रीमती गंगा देवी व अन्य
क्रेता :- मै० पुष्पांजली कन्सट्रक्शन प्रा० लि० आगरा

रकबा 4.1490 हे०
रंग लाल से दर्शाया गया
बिना मापके

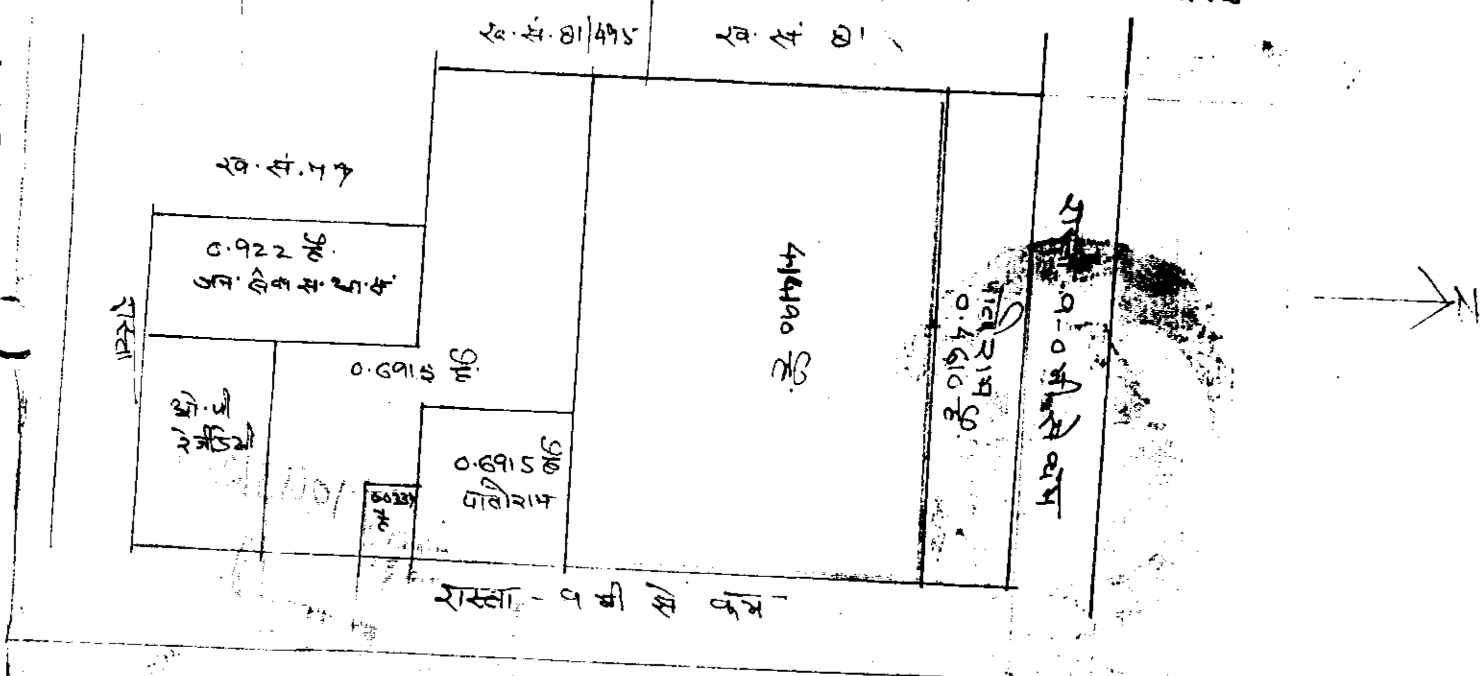

गंगा देवी

TRACED BY
Mukesh Baghel
Mobile-9319119545

वास्ते मैं० पुष्पांजलि ... लि०

न्यायालय जिलाधिकारी/कलेक्टर स्टाम्प आगरा।

वाद संख्या 02/11-12 अ0धा0-33/47ए(1) स्टाम्प अधिनियम

सरकार बनाम मै0 पुष्पांजली कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0

मौजा-जगनपुर मुस्तकिल

तहसील व जिला आगरा।

निर्णय

प्रस्तुत वाद की कार्यवाही उप निबंधक (प्रथम), आगरा की आख्या पत्रांक-79/11/उ0नि0 प्रथम दिनांक 15.6.2011 के आधार पर अपर जिलाधिकारी (वि/रा)/कलेक्टर स्टाम्प आगरा के न्यायालय में प्रथम वाद संख्या 87/11-12 पर दिनांक 15.6.2011 को दर्ज रजिस्टर होकर पत्रावली इस न्यायालय को निस्तारण हेतु प्राप्त हुई। उप निबंधक की आख्या में अनिबन्धित मूल बिलेख संलग्न करते हुये उल्लेख किया गया है कि एक किता बैनामा तादादी 15,30,00,000/-रूपया मालियत 16,59,60,000/-रूपया निष्पादित दिनांक 14.6.2011 प्रथम पक्ष श्रीमती गंगा देवी पत्नी स्व0 राम लखन नि0 ग्राम जगनपुर तहसील व जिला आगरा आदि एवं द्वितीय पक्ष मैसर्स पुष्पांजली कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, पुष्पांजली पैलेस देहली गेट आगरा द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि गनेश चन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व0 मक्खन लाल अग्रवाल निवासी 35/60, नौबस्ता लोहामण्डी, आगरा प्रस्तुत दिनांक 14.6.2011 हस्तान्तरित सम्पत्ति जर्मीन खसरा नम्बर-823अ व 82मि0 रकवा 4.1490 हे0 अर्थात 41490 वर्ग मीटर बाकै ग्राम जगनपुर मुस्तकिल तहसील व जिला आगरा द्वारा प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को उक्त सम्पत्ति में निहित अपने समस्त अधिकारों, स्वत्व, हक एवं हित को हस्तान्तरित किया गया है। प्रस्तुतीकरण के उपरान्त बिलेख में वर्णित तथ्यों के आधार पर वर्तमान में प्रचलित कलेक्टर रेट सूची की न्यूनतम दर से परीक्षण किये जाने पर प्रथम दृष्टया पाया गया कि बिलेख में 1,16,17,200/- रूपये का स्टाम्प शुल्क देय है, जबकि बिलेख में मात्र 6,25,000/-रूपये का स्टाम्प दिया गया है। इस प्रकार बिलेख में 1,09,92,200/- रूपये का स्टाम्प शुल्क जानबूझकर कम अदा किया गया है। बिलेख सम्यक रूप से स्टाम्पित नहीं है। पक्षकारों को प्रथमदृष्ट्या 1,09,92,200/-. रूपये की और छपित स्टाम्प शुल्क पूर्ति किये जाने हेतु आदेश/आपत्ति पर्ची जारी की गयी। केता द्वारा लिखित रूप में इस निवेदन के साथ बिलेख को पुनः प्रस्तुत किया गया है कि "बिकेता पक्ष की संख्या अधिक होने के कारण पूरा स्टाम्प जमा नहीं कर पा रहा है। जिलाधिकारी के यहां स्टाम्प जमा करने को बचनबद्ध है।" उक्त कमी स्टाम्प की बिना पूर्ति किये हुये बिलेख को पुनः प्रस्तुत किये जाने पर बिलेख को स्टाम्प अधिनियम की धारा 33/47ए(1) के अर्न्तगत मूलरूप से अवरूद्ध किया गया। उक्त कमी स्टाम्प की वसूली के साथ साथ मूल्य अवधारण की कार्यवाही किया जाना भी आवश्यक है। दिनांक 01.8.2010 से प्रभावी कलेक्टर रेट सूची के अनुसार 41490वर्ग मीटर की न्यूनतम मालियत 41490 X 4000=16,59,60,000/- रूपया होती है। विकास शुल्क सहित 7% की दर से देय स्टाम्प शुल्क 1,16,17,200/- रूपया होता है। दिया गया स्टाम्प शुल्क 6,25,000/- रूपया है। कमी स्टाम्प शुल्क 1,09,92,200/- है। अन्त में बिलेख को मूल रूप में स्टाम्प अधिनियम की धारा 33/47ए(1) के अर्न्तगत शास्ति सहित कमी स्टाम्प शुल्क 1,09,92,200/- रूपये की वसूली एवं मूल्य अवधारण की कार्यवाही हेतु संदर्भित किया गया है।

नियमानुसार क्रेता/द्वितीय पक्ष मैसर्स पुष्पांजली कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0, पुष्पांजली पैलेस देहलीगेट, आगरा द्वारा अधिकृत प्रतिनिधि श्री गनेशचन्द्र अग्रवाल पुत्र स्व0 श्री मक्खन लाल अग्रवाल निवासी 35/60 नौबस्ता लोहामण्डी, आगरा को नोटिस कमी स्टाम्प शुल्क दिनांक 26.7.2011 जारी किया गया। दिनांक 18.1.2012 को क्रेता/द्वितीय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया कि प्रार्थी ने उक्त बिलेख का निष्पादन कराया था, उक्त दिनांक को पैसे की कुछ कमी थी। इसलिये पूरा स्टाम्प अदा नहीं कर सका था। उक्त बिलेख में जो कमी है, उसे देने को तैयार है। उसने जानबूझकर कोई कमी

........2

Ahlawat

नहीं की है बल्कि पैसे के अभाव में अपूर्ण स्टाम्प अदा किया था। अन्त में बिलेख में हुई स्टाम्प कमी को जमा कराये जाने एवं अर्थदण्ड माफ करने की कार्यवाही करते हुये कार्यवाही का निस्तारण करने की याचना की गयी है।

दिनांक 03.2.2012 को राज्य सरकार की ओर से जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) एवं केता/द्वितीय पक्ष की ओर से उनके विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपनी-अपनी लिखित बहस प्रस्तुत की गयी। जिला शासकीय अधिवक्ता (राजस्व) द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में मुख्य रूप से यह अभिकथन किया गया है कि पक्षकार द्वारा कमी स्टाम्प की धनराशि जमा कराये जाने व अर्थदण्ड माफ किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। केता द्वारा बिलेख पर 4000/- रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से बिक्रीत आराजी 41490 वर्ग मीटर का मूल्यांकन 16,59,60,000/- करते हुये मु0 1,16,17,200/- रूपये की कमी स्टाम्प शुल्क की गणना की गयी है तथा 6,25,000/- का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है। वाद संख्या 3/2011 से सम्बन्धित बिलेख द्वारा भी इन्हीं गाटा संख्या 803अ, 80मि0 की भूमि अन्तरित की गयी है और उस बिलेख पर 4400/- रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से मूल्यांकन किया गया है। इस प्रकार समान गाटाओं की भूमि का मूल्यांकन अलग-अलग किया गया है जबकि समान गाटाओं की भूमि के मूल्यांकन की दर समान ही होनी चाहिये। वाद संख्या 3/2011 पर उपलब्ध बिलेख द्वारा गाटा संख्या 803अ, 80मि0 में से कय की गयी भूमि के दो तरफ रास्ता है जिसका बैनामा केता मैसर्स पुष्पाजंली कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा अलग से कराया गया है। इन्हीं गाटाओं की भूमि 41490 वर्ग मीटर का यह बैनामा अलग से कराया गया है। ऐसे प्रकरणों के सम्बन्ध में महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 शिविर लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या 977 दिनांक 17.8.2006 में दिशा निर्देश दिये गये है कि कम दर पर पंजीकृत कराये गये प्रलेख पर स्टाम्प वसूली की कार्यवाही अमल में लायी जावेगी। इस बिलेख द्वारा अन्तरित भूमि 41490 वर्ग मीटर का मूल्यांकन भी 4400/- रूपये प्रति वर्ग मीटर से किया जाकर कमी स्टाम्प शुल्क के साथ साथ ब्याज एवं अधिक से अधिक अर्थदण्ड भी वसूला जावे।

केता/द्वितीय पक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस में कहा गया है कि वाद संख्या 3/11 में अधिकतम निर्धारित दर 4400/- रूपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से अदा किया था तथा वाद संख्या 2/11 में सडक से दूर होने के कारण निर्धारित दर 4000/- रूपये प्रति वर्ग मीटर से स्टाम्प अदा किया था। बिलेखों में बिकेताओं की संख्या अधिक होने के कारण वाद की पेचीदिगी से बचने हेतु स्टाम्प कम अदा किया गया था, जिस पर उप निबन्धक द्वारा पर्चा आपत्ति दिये जाने पर हमारे द्वारा जिलाधिकारी आगरा के यहां जमा करने हेतु सहमति दी थी। प्रार्थी ने इसी कम में नोटिस प्राप्त होते ही कमी स्टाम्प जमा कराने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया गया है। प्रार्थी ने जानबूझकर कोई स्टाम्प अपवंचन नहीं किया है। अर्थदण्ड माफ किया जाना आवश्यक है। यह भी अभिकथन किया गया है कि अन्तरण दो बिलेखों से है तथा समान गाटाओं की भूमि का अन्तरण हुआ है। इस लिये समान दर से ही कलेक्टर रेट सूची के अनुसार समान स्टाम्प देने को तैयार हैं। अन्त में दोनों वादों के बिलेखों में हुई कमी को जमा कराये जाने एवं अर्थदण्ड माफ किये जाने की याचना की गयी है।

मैंने पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों, रेट लिस्ट प्रभावी दिनांक 01.8.2010 एवं महानिरीक्षक निबन्धन/आयुक्त स्टाम्प, उ0प्र0 शिविर लखनऊ के संदर्भित पत्र का अवलोकन किया। केता मैसर्स पुष्पाजंली कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 ने बिकय बिलेख पातीराम बहक मैसर्स पुष्पाजंली कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 एवं दूसरे बिकय बिलेख श्रीमती गंगादेवी आदि बहक मैसर्स पुष्पाजंली कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा मौजा जगनपुर मुस्तकिल तहसील व जिला आगरा के गाटा संख्या 803अ, 80मि0 की भूमि कय की गयी है। बिकय बिलेख पातीराम बहक मैसर्स पुष्पाजंली कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा 4610 वर्ग मीटर का अन्तरण हुआ है जिसका मूल्यांकन 4400/- रूपये प्रति वर्ग मीटर की दर से किया गया है जबकि इस वाद कार्यवही की पत्रावली के बिकय बिलेख श्रीमती गंगादेवी आदि बहक मैसर्स पुष्पाजंली कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 द्वारा 41490 वर्ग मीटर भूमि का अन्तरण किया गया है जिसका मूल्यांकन 4000/- रूपये प्रति वर्ग मीटर से किया गया है। चूंकि गाटा एक हैं और केता भी एक है। ऐसी स्थिति में समान

............3

गाटाओं की भूमि का मूल्यांकन अलग-अलग दर से नहीं किया जा सकता बल्कि एक ही दर से किया जायेगा। इस तथ्य को क्रेता/द्वितीय पक्ष के अधिवक्ता द्वारा भी अपनी लिखित बहस में स्वीकार किया गया है। क्रेता पक्ष कमी स्टाम्प शुल्क स्वेच्छा से जमा कराना चाहता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि बिलेख पातीराम बहक पुष्पाजंली कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 के पृष्ठ संख्या-2 पर लेखपत्र का संक्षिप्त विवरण के कमांक-11 सर्किल रेट में उल्लिखित है कि "4000/- रूपया प्रति वर्गमीटर पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त दो रास्ते का होने के कारण"। इस प्रकार इस बिलेख द्वारा अन्तरित भूमि का मूल्यांकन 4400/- रूपये प्रति वर्गमीटर से किया जाकर स्टाम्प शुल्क अवधारित किया जाना उचित एवं न्यायसंगत है। अतः इस वाद कार्यवाही को गुण-दोष के आधार पर निस्तारित किया जाता है। गाटा संख्या-82अ व 82मि0 रकवा 4.1490 हेक्टेयर अर्थात 41490 वर्ग मीटर का मूल्यांकन 4400/-रूपये प्रति वर्ग मीटर से 41490X4400=18,25,56,000/- रूपया होता है। जिस पर नियमानुसार देय स्टाम्प शुल्क 1,27,78,920/-रूपया होता है। क्रेता/द्वितीय पक्ष द्वारा 6,25,000/- रूपये का स्टाम्प अदा किया गया है। अतः क्रेता/द्वितीय पक्ष पर 1,21,53,920/-कमी स्टाम्प शुल्क अवधारित किया जाना तथा स्टाम्प अधिनियम की धारा 40(बी) के अर्न्तगत अर्थदण्ड आरोपित किया जाना भी उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः वर्णित स्थिति में क्रेता/द्वितीय पक्ष मै0 पुष्पाजंली कन्स्ट्रक्शन प्रा0लि0 पर मु0 1,21,53,920/-रूपये (एक करोड़ इक्कीस लाख तिरेपन हजार नौ सौ बीस रूपये) की कमी स्टाम्प शुल्क की देयता निर्धारित की जाती है जिस पर बिलेख निष्पादन दिनांक 13.6.2011 से धनराशि जमा कराये जाने तक 1.5 प्रतिशत प्रतिमाह की दर से ब्याज देय होगा। साथ ही भारतीय स्टाम्प अधिनियम की धारा 40(ख) के अर्न्तगत रू0 10,000/- (दस हजार रूपये) अर्थदण्ड भी आरोपित किया जाता है। तदनुसार क्रेता/द्वितीय पक्ष कमी स्टाम्प शुल्क, ब्याज एवं अर्थदण्ड की धनराशि एक माह में निर्धारित लेखा शीर्षक में जमा करकार चालान की एक प्रति पत्रावली पर प्रस्तुत करे। धनराशि जमा न होने की दशा में वसूली प्रमाण पत्र जारी हो। बाद वसूली एवं आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

(अजय चौहान)
जिलाधिकारी/कलेक्ट स्टाम्प,
आगरा।
06.2.2012

आज यह निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

(अजय चौहान)
जिलाधिकारी/कलेक्ट स्टाम्प,
आगरा।
06.2.2012